



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.पी.-अ.-24062025-264072
CG-MP-E-24062025-264072

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2720]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 23, 2025/आषाढ़ 2, 1947

No. 2720]

NEW DELHI, MONDAY, JUNE 23, 2025/ASHADHA 2, 1947

रेल मंत्रालय

[पश्चिम मध्य रेलवे (निर्माण संगठन)]

अधिसूचना

जबलपुर, 23 जून, 2025

का.आ. 2786(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेलवे (संशोधन) अधिनियम 2008 (2008 का 11) की धारा 2 के खंड 37(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिनियम के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (3) में उल्लिखित राज्य में उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में यथाउल्लिखित परियोजना को निम्नलिखित विशेष रेल परियोजना के रूप में अधिसूचित करती है

सारणी

क्रम सं.	परियोजना का नाम	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
1	पश्चिम मध्य रेलवे के करही एवं सगमा स्टेशन के मध्य (5.31 कि.मी.) की कॉर्ड लाईन	मध्यप्रदेश
2	पश्चिम मध्य रेलवे के करही एवं कैमा स्टेशन के मध्य (4.975 कि.मी. अप) तथा (6.785 कि.मी. डाउन) लम्बाई का रेलपथ फ्लाई ओवर	

[फा. सं. JBPCOENGCESTM/22/2023]

जोन सिंह मीना, मुख्य इंजी/नि-IV मुख्या.

MINISTRY OF RAILWAYS**[West Central Railway (Construction Organization)]****NOTIFICATION**

Jabalpur, the 23rd June, 2025

S.O. 2786(E).—In exercise of the powers conferred by clause 37(A) of Section 2 of the Railway (Amendment) Act, 2008 (11 of 2008), the Central Government hereby notifies the following project as Special Railway Project, as mentioned in column (2) of the table below in the State mentioned in Column (3) of the said table, with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

TABLE

S.No	Name of Project	State
(1)	(2)	(3)
1	Chord line between Karhi - Sagma stations (5.31 Km) of West Central Railway".	Madhya Pradesh
2	Rail over Rail flyover between Karhi-Kaima (4.975 Km UP and 6.785 Km DN) of West Central Railway	

[F. No. JBPCOENGCE/22/2023]

JON SINGH MEENA, Chief Engineer/Construction-IV, HQ